C205 / 318

मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2014 को पूर्वाह्न 11.30 बजे से मेगा प्रक्षेत्र के औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन/अनुदान हेतु आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

i. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
ii. सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।
iii. सचिव–सह– वाणिज्यकर आयुक्त, झारखण्ड, राँची।
iv. सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची।
v. सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।
vi. उद्योग निदेशक, झारखण्ड, राँची।
vii. उप सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची।
viii. सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, राँची।
ix. डॉ० डी०के० सिंह, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।
x. श्री ओम प्रकाश, मुख्य अभियंता, (वाणिज्य एवं राजस्व) झारखण्ड राज्य ऊर्जा विकास निगम लि०, राँची।

–: कार्यवाही :–

1. गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि सर्वसम्मति से की गई।
2. गत बैठकों की कार्यवाही का अनुपालन उद्योग निदेशक द्वारा अनुपालन की स्थिति स्पष्ट की गई, जो **अनुलग्नक–1 पर संलग्न है।**
3. समिति के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि कई इकाइयां विस्तार/विशाखन कर उत्पादन में झारखण्ड औद्योगिक नीति–2001 के अन्तर्गत वाणिज्यिक उत्पादन तिथि प्रारम्भ कर प्रोत्साहन की अनुमान्यता है। ऐसी इकाइयों से विस्तार/विशाखन के पूर्व एवं विस्तार/विशाखन के कम में स्थापित क्षमता के विरूद्ध कमशः भुगतान किए गए बिकी कर से संबंधित सूचना की मांग नोटराईज्ड शपथ पत्र के माध्यम से मांगी गयी थी, परन्तु इकाइयों के द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

इस संबंध में सम्यक विचरोपरान्त स्क्रीनिंग समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि इकाई के विस्तार/विशाखन के पूर्व स्थापित क्षमता एवं विस्तार/विशाखन के कम में स्थापित

(208)

क्षमता के pro-rata (यथा अनुपात) में वाणिज्यकर विभाग से प्राप्त बिक्री कर प्रमाण पत्र अंकित राशि की, क्षमता के आधार पर देय राशि की गणना की जाए तथा इस प्रकार के मामलों को पुनः समीक्षा कर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

4. विभिन्न विभागों यथा – जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से बकाये, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से अद्यतन CTO की सूचना एवं वाणिज्यकर से अद्यतन assessment तथा वाणिज्यकर प्रमाण पत्र के सत्यापन का अनुरोध किया गया था। सचिव-सह-वाणिज्यकर आयुक्त के द्वारा सभी इकाइयों के सत्यापन करा लिए जाने की सूचना दी गयी।

झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि0 के पत्रांक 241 दिनांक 19.02.2014 के द्वारा इकाइयों के बकाये की सूचना बैठक में उपलब्ध करायी गयी। **अनुलग्नक–2 के रूप में कार्यवाही में संलग्न।**

5. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वित्तीय वर्ष 2012–13 का कन्सेंट टू ऑपरेट एवं वाणिज्यकर विभाग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही अनुशंसित इकाई को भुगतान किया जाए। ऐसे मामले जो न्यायालय में subjudice हैं, उसे छोड़कर शेष को बकाया दिखाते हुए जब तक जमा का साक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक संबंधित इकाई को भुगतान नहीं किया जाय। किसी न्यायालय का निर्णय जब तक stay or quash न हो, उसे applicable माना जाए।

6. उद्योग विभाग के ज्ञापांक 1840 दिनांक 20.06.2013 के द्वारा अंतिम वर्ष की देयता भुगतान के पूर्व पूर्ववर्ती वर्षों का assessment complete होना अनिवार्य होगा, के कम में अंतिम वर्ष के भुगतान के पूर्व assessment की सूचना वाणिज्यकर विभाग से प्राप्त कर ही की जाए।

7. पूर्व की बैठक दिनांक 08.06.2011 में रू0 5.00 करोड़ से अधिक के एक इकाई के भुगतान के मामले पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त किए जाने के कम में मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ज्ञापांक–188 दिनांक 13.03.2012 के द्वारा निर्गत अधिसूचना के कम में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान की जाएगी।

8. वाणिज्यकर भुगतान के विरूद्ध पूंजीगत अनुदान (भाग–2) के संबंध में समिति के द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए। यह भी निर्देश है कि expansion के मामले में पूर्व भुगतान मात्र expanded के आधार पर था या नहीं, इसकी भी जांच कर ली जाए तथा प्रस्तावित फार्मूला के अनुसार गणना किया जाए। तदनुसार समायोजन / वसूली की जाए :–

(Figures in lack Rupees)

Sl. No	Name of the unit	Product year of claim/Dt. of application	Eligible Invest/years of tax refund Rs. in lac	Tax certificate	Incremental tax	Amount admissible @ 75%	Status of sanctioned incentives	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	M/s JMT Auto Ltd., AIADA DOP 01.11.06 Cat(area-A Expansion	Auto Component 2012-13 on 26.09.2013	Rs. 8997.12 C- Rs. 500.00 VAT-7 years Celing limit Rs.5398.27	939.87	720.82	540.62	Already sanctioned 06-07 Rs.88.89 Lac 07-08 Rs.90.07 lac 08-09 Rs.68.40 lac 09-10 Rs.151.35 lac 10-11 Rs. 565.46 lac 11-12 Rs. 565.75 lac **Total Rs.1529.92 lac** Capital Rs.500.00 lac **Gross Total: Rs.2029.92 lac**	समिति के द्वारा इकाई के मामले पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिए गए : 1 इकाई आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र यानी "ए" श्रेणी में माना जाए। 2 इकाई से शपथ पत्र के साथ विस्तार के पूर्व एवं विस्तार के क्रम में सूचना की माग की गयी थी, जो अप्राप्त है। शपथ पत्र प्राप्त कर pro-rata basis पर गणना किया जाए। 3. इकाई को अंतिम वर्ष के भुगतान विचाराधीन है। अतः पिछले वित्तीय वर्ष तक का Assessment तथा वाणिज्यकर से प्राप्त किया जाए। 4. समस्त सूचना प्राप्त कर **अगली बैठक** में रखा जाए।
2	M/s Atibir Industries Co. Ltd. Unit-II, Giridih DOP 25.5.10 Cat(Area)-B New unit	Iron & Steel 2012-2013 03.06.2013	Rs. 10812.67 C-Rs.700.00 VAT-8year Ceiling Limit Rs.8109.00	1491.62	1491.62	1118.72	Already sanction 10-11 Rs 244.00 lac 11-12 Rs 394.99 lac **Total Rs. 698.99 lac** Capital Rs. 700.00 lac **Gross Total Rs. 1398.99 lac**	1 सदस्य सचिव प्रदूषण बोर्ड के द्वारा दिनांक 30.09 2014 तक CTO निर्गत सूचित किया गया। 2 विद्युत बोर्ड का बकाया नहीं है, सूचित किया गया। 3. जल संसाधन विभाग का बकाया नहीं है, सूचित किया गया। 4. अनुदान **स्वीकृत** करने की अनुशंसा की गयी।
3	M/s Aditya Birla Chemicals	Caustic Soda (Membrance cell)	Rs. 9834.79 C-Rs.700.00 VAT-9yrs.	247.98	247.98	185.98	Already sanctioned 06-07: Rs163.98 lac	1. इकाई से शपथ पत्र के साथ विस्तार के पूर्व एवं